भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2316**

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

**अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अपर्याप्त शैक्षणिक अवसंरचना**

2316. **श्रीमती रुचि वीरा:**

**श्रीमती संजना जाटव:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले और राजस्थान के भरतपुर जिले में विद्यालयों, महाविद्यालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों सहित शैक्षणिक अवसंरचना और छात्रवृत्तियां अपर्याप्त हैं जो अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में नई स्वीकृत शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त जिलों में विद्यालय अवसंरचना में सुधार लाने, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने, छात्रवृत्तियां प्रदान करने और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई उपाय/कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त जिलों में अपर्याप्त शैक्षणिक सहायता के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल/कॉलेज/शैक्षिक संस्थाएं संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें स्कूलों में अवसंरचना प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ज़िला और राजस्थान का भरतपुर ज़िला शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने केंद्र से सहायता की आवश्यकता को समझते हुए, राज्य सरकारों की सहायता के लिए कई योजना /परियोजना लागू किए हैं। मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इन योजना /परियोजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति(एनईपी) 2020 के अनुरुप बनाया गया है।

केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और नई अवसंरचना बनाने में सहायता की जाती है। एनईपी-**2020** के अधिदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, पीने का पानी और स्वच्छता विभाग;

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय और कई दूसरे मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर, समान और सतत शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना सुविधाएं देने में लक्षित और संतृप्त पहुंच अपना रहा है।

यूडाइज+ रिपोर्ट **2024-25** के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में राज्यों की तुलना में अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता इस प्रकार है:

**यूडाइज**+2024-25 **के अनुसार स्कूलों में उपलब्ध अवसंरचना सुविधा**

(सभी डेटा % में)

| राज्य/जिला | पेयजल | बालक शौचालय | बालिका शौचालय | हाथ धोने का स्थान | खेल का मैदान | कंप्यूटर | पुस्तकालय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भरतपुर | 99.4 | 96.4 | 96.8 | 94.6 | 80.4 | 49.4 | 83.7 |
| मुरादाबाद | 99.7 | 99.1 | 98.1 | 95.3 | 72.2 | 60.7 | 64.3 |

*स्त्रोत: यूडाइज + 2024-25

समग्र शिक्षा के तहत, ऊपर बताए गए जिलों में अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्त वर्ष **2025-26** के लिए भरतपुर (राजस्थान) के लिए **1989.38** लाख रुपये और मुरादाबाद (यूपी) के लिए **403.44** लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा के तहत अवसंरचना अनुमोदन | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | भरतपुर | | मुरादाबाद | |
| **मदें** | वास्तविक मात्रा | वित्तीय राशि (लाख) | वास्तविक मात्रा | वित्तीय राशि (लाख) |
| अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष | - | - | 4 | 46.04 |
| अतिरिक्त विषय | - | - | 1 | 221 |
| जीवविज्ञान प्रयोगशाला | 20 | 430 | - | - |
| रसायन प्रयोगशाला | 19 | 408.5 | - | - |
| कंप्यूटर कक्ष | - | - | 3 | 68.94 |
| सीडब्ल्यूएसए शौचालय | - | - | 3 | 5.22 |
| जीर्ण-शीर्ण भवन | 4 | 751.88 | - | - |
| प्रयोगशाला उपकरण | 55 | 55 | 27 | 27 |
| प्रमुख मरम्मत | - | - | 7 | 35.24 |
| भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला | 16 | 344 | - | - |
| कुल योग | 114 | 1989.38 | 45 | 403.44 |

स्त्रोत: प्रबंध

इसके अलावा, यूपी के मुरादाबाद जिले के सरकारी हाई स्कूल, खदाना में वर्ष **2025-26** में विज्ञान विषय के लिए एक अतिरिक्त विषय को अनुमोदित किया गया है।

केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के कौशल और व्यावसायिक शिक्षा घटक के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और राजस्थान के भरतपुर जिले शामिल हैं। इसके तहत, कक्षा **VI** से **VIII** के छात्रों को कौशल शिक्षा का अवसर दिया जाता है और ग्रेड **IX** से **XII** तक कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरुप हैं। स्कूल छात्रों को मिडिल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का अवसर 10 बैगलैस दिन और इंटर्नशिप लागू करके दिया जाता है। अब तक कक्षा **9** से कक्षा **12** तक के स्कूल छात्रों को प्रदान किए जाने वाले **138** जॉब रोल्स (जेआर) / कौशल विषयों को अनुमोदित किया गया है।

वर्ष **2023-24** में, **केवि भरतपुर और केवि मुरादाबाद** सहित **350** केवि को स्कूलों में कौशल विकास को बढ़ावा देना के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) **4.0** के तहत स्कूल जाने वाले/स्कूल न जाने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए पहले ही शामिल कर लिया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को **21**वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना है। अब तक, पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए 10249 अभियार्थियों को पंजीकृत किया गया है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वर्ष **2023-24** से **2025-26** की अवधि के लिए **12926.10** करोड़ रुपये के व्यय के साथ उच्चर शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) को लागू कर रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक रुप से असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में, इस योजना के तहत, दो कॉलेजों, सरकारी डिग्री कॉलेज और सरकारी महाविद्यालय, संभल को न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) और ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन कॉलेज को सुदृढ़ करने संबंधी अनुदान (जीएससी) के घटकों के तहत कुल 16.07 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में, इस योजना के तहत, पाँच कॉलेजों को कॉलेज को अवसंरचना अनुदान (आईजीसी) और कॉलेजों को सुदृढ़ करने संबंधी अनुदान (जीएससी) के घटकों के तहत कुल 13 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्तियां योजना ' लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां देना है ताकि कक्षा VIII में उनके ड्रॉपआउट को रोका जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के तहत कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा X से XII तक अध्ययन जारी रखने/नवीकरण के लिए एक लाख नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपए प्रत्येक वर्ष है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राजस्थान राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए क्रमशः 7603 और 4584 नई और नवीकरण छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गईं, जिसमें भरतपुर ज़िला भी शामिल है। इसी तरह, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग /सामान्य

और अनुसूचित जाति के लिए क्रमशः 16784 और 8122 नई और नवीकरण छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गईं, जिसमें मुरादाबाद ज़िला भी शामिल है।

उच्चतर शिक्षा विभाग विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात अम्ब्रेला योजना प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना; प्रगति छात्रवृत्ति योजना और सक्षम छात्रवृत्ति योजना को लागू कर रहा है ताकि मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अधीन, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले और राजस्थान में भरतपुर जिले के छात्रों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में, एक करोड़ से अधिक छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों के लिए लगभग 39.3 लाख छात्रवृत्तियां शामिल थीं; अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए लगभग 47 लाख छात्रवृत्तियां।

***